भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.02.2026 के
तारांकित प्रश्न सं. 163 का उत्तर

तमिलनाडु के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना

***163. थिरु दयानिधि मारन:**
श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस) के प्रारंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत देशभर में पुनर्विकास के लिए कुल कितने स्टेशनों की पहचान की गई है और 1 जनवरी, 2026 तक कुल कितने स्टेशनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है;
(ख) क्या दक्षिण रेलवे उक्त योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कर रहा है और यदि हां, तो इसमें कुल कितने स्टेशन शामिल किए गए हैं और वहां कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ग) क्या पार्क, गिंडी, चेन्नई बीच और गुडुवनचेरी रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य शीघ्र पूरा होने वाला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शेष स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य पूरा हो जाने की समय-सीमा क्या है;
(घ) इस योजना के अंतर्गत लिफ्ट, एस्केलेटर, शौचालय, उन्नत प्लेटफार्म, सुरक्षा उपाय, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहुंच सुविधा और अंतिम छोर तक संपर्क सहायता सहित प्रदान की जा रही यात्री सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;
(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित/जारी की गई और उपयोग में लाई गई कुल निधियों का राज्य-वार और जोन-वार ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या पुनर्विकास से संबंधित निर्माण कार्य के दौरान पार्किंग स्थान की कमी और यात्रियों को असुविधा जैसे मुद्दों की सूचना मिली है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इसका समाधान करने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 11.02.2026 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 163 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (च): रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। अब तक, इस योजना के अंतर्गत विकास के लिए 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है और 172 स्टेशनों पर कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

इस योजना के अंतर्गत, तमिलनाडु में चेन्नई बीच, चेन्नई पार्क, गिण्डि और गुडुवांचेरी सहित 77 रेलवे स्टेशनों को विकास के लिए चिह्नित किया गया है। तमिलनाडु में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए चिह्नित स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
तमिलनाडु	77	अंबासमुद्रम, अंबत्तूर, अरक्कोणम् जंक्शन, अरियालुर, अवदी, बोम्मिडी, चेंगलपट्टू जंक्शन, चेन्नै बीच, चेन्नै एग्मोर, चेन्नै पार्क, चिदंबरम, चिन्ना सेलम, क्रोमपेट, कोयम्बटूर जंक्शन, कोयम्बटूर नॉर्थ, कुन्नूर, धर्मपुरी, दिंडिक्कल, इरोड जंक्शन, गुडुवनचेरी, गुइंडी, गुम्मिडीपूंडी, होसुर, जोलारपेट्टई जंक्शन, कन्याकुमारी टर्मिनस, कराइक्कुडी जंक्शन, करूर जंक्शन, काटपाडी, कोविलपट्टी, कुलितुरई, कुंभकोणम, लालगुडी, मदुरै जंक्शन, माम्बलम, मनापरई, मन्नारगुडी, मयिलाडुतुरै जंक्शन, मेट्टुपलयम, मोरप्पुर, नागरकोइल जंक्शन, नामक्कल, पलानी, परमाकुडी, पेरम्बूर, पोदनूर जंक्शन, पोलाची जंक्शन, पोलुर, पुदुक्कोट्टई, पुराची थलाईवर डॉ. एम.जी.रामचंद्रन सेंट्रल, राजापलायम, रामनाथपुरम, रामेश्वरम, सेलम, सामलपट्टी, शोलावंदन, श्रीरंगम, श्रीविल्लिपुत्तूर, सेंट थॉमस माउंट, ताम्बरम, तेनकासी, तंजावुर जंक्शन, तिरुवरुर जंक्शन. तिरुचेंदूर, तिरुनेलवेली जंक्शन, तिरुप्पादरिप्पुलयूर, तिरुपत्तूर, तिरुप्पुर, तिरुसुलम, तिरुत्तानी, तिरुवल्लुर, तिरुवन्नामलाई, तूतीकोरिन, उदगमंडलम, वेल्लूर कैंट, विल्लुपुरम जंक्शन, विरुधनगर, वृद्धाचलम जंक्शन

तमिलनाडु राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तीव्र गति से शुरू किए गए हैं। अब तक, इस योजना के अंतर्गत तमिलनाडु के 19 स्टेशनों (बॉम्मिडी, चेन्नई पार्क, चिदंबरम, चिन्नसेलम, करैक्कुडी जंक्शन, कुलितुरई, मनापराई, मन्नारगुडी, मोरप्पुर, पोल्लाची जंक्शन, पोलुर, सामलपट्टी, शोलावंदन, श्रीरंगम, श्रीविलिपुतुर, सेंट थॉमस माउंट, तिरुवरूर जंक्शन, तिरुवन्नमलाई, वृद्धाचलम जंक्शन) पर कार्य पूरे कर लिए गए हैं। अन्य स्टेशनों पर भी कार्य तीव्र गति से शुरू किए गए हैं और उपर्युक्त कुछ स्टेशनों की प्रगति इस प्रकार है:

- चेन्नई बीच स्टेशन: प्लेटफॉर्म सं. 1 से 8 पर प्लेटफॉर्म शेल्टर और ऊपरी पैदल पुल की सीढ़ियों के फर्श के सुधार कार्य पूरे कर लिए गए हैं। कॉनकोर्स भवन के सुधार, प्लेटफॉर्म सं. 1 से 6 की सतह के निर्माण, एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली और प्रकाश व्यवस्था के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
- गिण्डि स्टेशन: प्लेटफॉर्म शेल्टर, शौचालय ब्लॉक, जीएसटी रोड की तरफ पार्किंग और 3 लिफ्टों के सुधार कार्य पूरे कर लिए गए हैं। स्टेशन भवन, प्लेटफॉर्म सतह, नए बुकिंग कार्यालय, परिचलन क्षेत्र, एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली और प्रकाश व्यवस्था के सुधार कार्य शुरू किए गए हैं।
- गुडुवांचेरी स्टेशन: प्लेटफॉर्म संख्या 4/5 पर प्लेटफ़ॉर्म शेल्टर और प्लेटफ़ॉर्म संख्या 1 और 2/3 पर प्लेटफ़ॉर्म सतह के सुधार कार्य पूरे कर लिए गए हैं। स्टेशन भवन, चंदवा, शौचालय, परिचलन क्षेत्र, विल्लुपुरम छोर पर पार्किंग, एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली, प्रकाश व्यवस्था और लिफ्ट के सुधार के कार्य शुरू किए गए हैं।
- मयिलाडुतुरै जंक्शन स्टेशन: नए शौचालय ब्लॉक, संकेतकों, प्लेटफॉर्म शेल्टर, पार्किंग शेल्टर, प्रवेश आर्क, निकास आर्क, पोर्टिको के साथ टर्मिनल भवन का विस्तार, विस्तारित कॉनकोर्स, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म सतह और दिव्यांगजन सुविधाओं जैसे रैंप, कम ऊंचाई वाले टिकट काउंटर, हेल्प बूथ, शौचालय, स्पर्शनीय पथ आदि के सुधार कार्य पूरे कर लिए गए हैं। परिचलन क्षेत्र, भूदृश्यन, वॉटर क्यूबिकल, 6 मीटर चौड़ाई वाले ऊपरी पैदल पुल, लिफ्टों और स्वचालित सीढ़ियों के सुधार कार्य शुरू किए गए हैं।
- कुंभकोणम स्टेशन: मुख्य स्टेशन भवन और 3 मीटर चौड़ाई वाले ऊपरी पैदल पुल के लिए मृदा अन्वेषण संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। कार्य के बीच में आने वाली इमारत को गिराने, साइट को साफ करने, प्लेटफॉर्म सं. 4 के विस्तार और परिचलन क्षेत्र के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

इसके अलावा, भारतीय रेल में स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण जिसमें लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ियां, शौचालय, प्लेटफार्म जैसी सुविधाओं का प्रावधान शामिल है, एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है तथा इस संबंध में कार्य परस्पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, आवश्यकतानुसार किए जाते हैं। स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन के समय निचली कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्च कोटि के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है।

इस योजना में स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणबद्ध तरीके से उनका क्रियान्वयन करना शामिल है। मास्टर प्लानिंग में शामिल हैं:

- स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुँच में सुधार
- शहर के दोनों ओर स्टेशन का एकीकरण
- स्टेशन भवन में सुधार
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, वॉटर बूथ में सुधार
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े पैदल पार पुल/एयर कॉन्कोर्स का प्रावधान
- लिफ्ट/स्वचालित सीढ़ियों/रैंप का प्रावधान
- प्लेटफ़ॉर्म की सतह में सुधार/निर्माण और प्लेटफ़ॉर्म पर कवर का प्रावधान
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान
- पार्किंग क्षेत्र, यातायात के विभिन्न साधनों के साथ एकीकरण
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएँ
- बेहतर यात्री सूचना प्रणालियां
- प्रत्येक स्टेशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वहां एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, भूदृश्यन आदि का प्रावधान।

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध रूप से और यथा व्यवहार्य टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित रेलपथ का प्रावधान और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर का निर्माण भी शामिल हैं।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है, जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल क्लीयरेंस, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन क्लीयरेंस इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, रेलपथ व उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

भारत सरकार के "सुगम्य भारत मिशन" या 'एक्सेसिबल इंडिया कैम्पेन' के एक भाग के रूप में, भारतीय रेल अपने रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों हेतु सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन में, "भिन्न रूप से सक्षम दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों की भारतीय रेल के रेलवे स्टेशनों तक पहुंच और स्टेशनों पर इनकी सुविधाओं संबंधी दिशानिर्देश" परिपत्रित किए गए हैं तथा इन्हें भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। इन दिशानिर्देशों में दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए सुविधाओं के प्रावधान शामिल हैं जैसे प्रवेश रैंप, सुलभ पार्किंग, कम ऊंचाई वाले टिकट काउंटर/सहायता बूथ, शौचालय, पीने के पानी के बूथ, रैंप/लिफ्ट की सुविधा सहित भूमिगत पैदल पार पथ/ऊपरी पैदल पुल और दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों हेतु ब्रेल संकेतकों सहित मानक संकेतक और स्पर्शनीय पथ आदि शामिल हैं।

राज्य सरकारों, संसद सदस्यों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं आदि की मांगों तथा रेलवे की अपनी आवश्यकताओं के आधार पर रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलों, मंडल कार्यालय आदि सहित विभिन्न स्तरों पर, अन्य बातों के साथ-साथ, देश भर में रेल परियोजनाओं/निर्माण कार्यों हेतु औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों प्रकार के सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। ऐसे सुझावों/अभ्यावेदनों की प्राप्ति एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और व्यवहार्य तथा उचित पाए जाने पर इन पर समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

भारतीय रेल में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक सुस्थापित प्रणाली है, जिसमें उनकी समीक्षा, निरीक्षण, संरक्षा जांच, कार्यों की गुणवत्ता की जांच तथा लेखापरीक्षा शामिल हैं। ये निर्माण कार्य विभिन्न संहिताओं और नियमावलियों में निर्धारित मानकों और विशिष्टियों का

पालन करते हुए किए जाते हैं। निर्धारित अनुदेशानुसार विभिन्न एजेंसियों/अधिकारियों/बहुविभागीय दलों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण/लेखापरीक्षाएं/जांचें की जाती हैं और सुधार के लिए तुरंत अपेक्षित कार्रवाई की जाती है। यह एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण का वित्तपोषण सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएँ' के अंतर्गत किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आवंटन और व्यय का विवरण क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार अथवा रेलवे स्टेशन-वार अथवा राज्य-वार। तमिलनाडु राज्य दो क्षेत्रीय रेलों नामतः दक्षिण रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है। इन क्षेत्रीय रेलों के लिए, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1,697 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जिसमें से अब तक (दिसंबर, 2025 तक), 1,360 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया गया है।

*****